

राजस्थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 27, शुक्रवार, शाके 1942-दिसम्बर 18, 2020 Agrahayana 27, Friday, Saka 1942-December 18, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2020

जी.एस.आर.231 :-राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत है;
- (ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और
- (घ) ''अन्सूची''से इन नियमों से संलग्न अन्सूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समन्देशित किया गया है।

3. पुनर्वास गृह में भर्ती- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती वास-सुविधा और सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन की जायेगी।

(2). यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर भिक्षावृत्ति करते पाया जाता है और अधीक्षक, पुनर्वास गृह के समक्ष लाया जाता है या स्वयं प्रस्तुत होता है और अधीक्षक की यह राय है कि उस व्यक्ति के पास भिक्षावृत्ति के सिवाय आजीविका का कोई और स्रोत नहीं है या वह व्यक्ति निर्धन है और पुनर्वास गृह में निवास के लिए इच्छुक है तो, वह तुरंत उसे पुनर्वास गृह में भर्ती करेगा। अधीक्षक, किसी अंतः वासी की भर्ती की सूचना ऐसी भर्ती के 24 घण्टों के भीतर-भीतर पुनर्वास अधिकारी को देगा।

(3) पुनर्वास गृह का अधीक्षक, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के रूप में पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियों का एक रजिस्टर प्ररूप-1 में संधारित करेगा। भर्ती के समय जेवर, नकदी और अन्य सामानों की विशिष्टयां प्ररूप-1 में प्रविष्ट की जायेंगी और अधीक्षक द्वारा उसे अभिरक्षा में लिया जायेगा। 4. वास-सुविधा, भोजन और वस्त्र का पैमाना.- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये अंतः वासी को पैमाने और जलवायु की दशा के अनुसार वस्त्र, बिस्तर, बर्तन, साबुन, बालों में लगाने का तेल आदि प्रदत्त किये जायेंगे।

(2) 100 भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों वाले किसी पुनर्वास गृह के लिए वास-सुविधा निर्मित करने के लिए मानक साधारणतः निम्नान्सार होंगेः

क्र.सं.	इकाई	न्यूनतम क्षेत्र
1.	4 शयनागार	4000 वर्ग फीट (प्रत्येक 25 अंतः वासियों के लिए
		अनुमानित रूप से 1000 वर्ग फीट)
2.	रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष	500 वर्ग फीट
3.	रसोई	250 वर्ग फीट
4.	भोजन कक्ष	800 वर्ग फीट
5.	भंडार	250 वर्ग फीट
6.	10 स्नानघर	250 वर्ग फीट
7.	10 प्रसाधन/शौचालय	250 वर्ग फीट
8.	कार्यालय कक्ष	250 वर्ग फीट
		अधीक्षक का कक्ष 200 वर्ग फीट
9.	परामर्श/मार्गदर्शन और निराव्यसन	250 वर्ग फीट
	कुल	6800 वर्ग फीट

परन्तु छोटी इकाइयों/किराये की वास-सुविधा/अस्थाई इकाइयों के लिए समायोजन आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अन्जा से किया जा सकेगा।

 (3) पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये प्रत्येक अंतः वासी के लिए वस्त्र और बिस्तर, पैमाने और जलवायु दशाओं के अनुसार होंगे। प्रत्येक अंतः वासी के लिए आवश्यकता के न्यूनतम मानदण्ड अनुसूची-1 के अनुसार होंगे।
 (4) अंतः वासियों को नाश्ते सहित दिन में तीन बार भोजन प्रदान किया जायेगा।

5. पुनर्वास गृहों की स्थापना के लिए प्रक्रिया.- (1) पुनर्वास गृहों को मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किया जायेगा। वे पुनर्वास गृहों के रख-रखाव के लिए और भोजन, वस्त्र, उपचार, निराव्यसन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अंतः वासियों के पुनर्वास पर उपगत व्ययों के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार से सदायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) पुनर्वास गृह स्थापित करने की वांछा रखने वाला कोई सेवा संगठन, अपना आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के जिला स्तर के अधिकारी की सिफारिश के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को भेजेगा। मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे,-

(İ) संगठन के संविधान की एक प्रति;

(II) संगठन के प्रबंध बोर्ड/शासी निकाय इत्यादि का नाम और पूर्ण विशिष्टियां;

(III) संगठन की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट;

- (İv) अन्य निकाय जैसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के भागों, स्थानीय निकायों इत्यादि से प्राप्त, वचनबद्ध अनुदानों को सम्मिलित करते हुए वर्ष जिससे आवेदन संबंधित है की अनुमानित आय और व्यय को दर्शित करने वाला एक विस्तृत बजट;
- (v) संगठन /संस्था के लेखों का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी संपरीक्षक द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रमाणित सपरीक्षित कथन; और
- (vi) विदेशी अभिदाय, यदि कोई हो, और पिछले तीन वर्ष के दौरान आस्तियों के ब्यौरे सम्मिलित करते हुए आय का स्रोत उपदर्शित करने वाला संक्षिप्त टिप्पण। इस टिप्पण में, संगठन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये क्रियाकलापों का ब्यौरा जिसमें प्रतिबंध और मादक द्रव्य दुरुपयोग के निवारण को सम्मिलित करते हुए आवरित क्षेत्र/स्थान और उपगत व्यय के बारे में ब्यौरा सम्मिलित हो, दिया जायेगा।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मान्यताप्राप्त सेवा संगठन या गैर सरकारी संगठन से प्राप्त प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर करेगा और संवीक्षा करेगा और यदि आवश्यक समझा जाये तो उसमें किसी स्पष्टीकरण की मांग या उसमें उपान्तरण के सुझाव देगा।

6.आयुक्त की शक्तियां और कृत्य.- (1) अधिनियम के अधीन विहित शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (İ) पुनर्वास गृहों को मानीटर करना और मान्यताप्राप्त सेवा संगठन को समय-समय पर दिये गये आदेशों और अन्देशों की अन्पालना चाहना;
- (İİ) सेवा संगठनों को मान्यता देना और मान्यता समाप्त करना;
- (iii) सेवा संगठन और जिला स्तरीय समितियों के कार्यकरण और नियन्त्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना;
- (İv) पुनर्वास गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करना और उनके लिए मानिटरिंग संरचना का निर्माण;
- (v) साधारण या विशेष तौर पर पुनर्वास गृह की प्रगति और अंतः वासियों के कल्याण के संबंध में किसी अन्य मामले पर विचार करना; और
- (vİ) राज्य सरकार द्वारा भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित समय-समय पर समन्देशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना।

7. पुनर्वास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.- (1) अधिनियम के अधीन विहित शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त पुनर्वास अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्ः-

- (İ) जिला स्तर या शहर स्तर पर अधिनियम का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन स्निश्चित करना;
- (İİ) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास पर इन्टर-सेक्टरल लिंक बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना;
- (III) जिले में सभी पुनर्वास गृहों का पर्यवेक्षण और मानिटर करना;
- (İv) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए जिले के गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों के साथ समन्वय करना; और
- (v) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किये जायें।

(2) पुनर्वास अधिकारी, आयुक्त को जिले के पुनर्वास गृहों में किये गये समस्त क्रियाकलापों की प्रगति की तिमाही रिपोर्ट प्रस्त्त करेगा।

8. अधीक्षक के कर्तव्य.- सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित शक्तियोंऔर कर्तव्यों के अतिरिक्त, अधीक्षक,-

- (İ) पुनर्वास गृहों के अंतः वासियों की भर्ती, देखभाल, अभिरक्षा, संरक्षण, उपचार, प्रशिक्षण और सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ii) अंतः वासियों के लिए और उनके अच्छे अनुशासन और प्रशिक्षण तथा पुनर्वास प्रयासों के दक्षतापूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा;
- (III) पुनर्वास गृहों के समस्त कार्यों के प्रबंधन और सामान्य पर्यवेक्षण जिसमें कर्मचारिवृंद का पर्यवेक्षण, लेखों और वित्तीय संव्यवहारों का संधारण, वस्त्र, भोजन, भंडारों, अंतः वासियों की निजी सम्पति के लेखे आदि सम्मिलित हैं, के लिए उत्तरदायी होगा;
- (İv) अंतः वासियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा;
- (v) कार्य नियोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अंतः वासियों के सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास, साथ ही मादक द्रव्य उपभोगकर्ताओं के लिए निराव्यसन योजना को सम्मिलित करते हुए अंतः वासियों की संतानों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं भी स्निश्चित करेगा;
- (vi) विहित पैमाने के अनुसार और स्वीकृत अनुदान के और विशिष्टतया अंतः वासियों की वास्तविक पुनर्वास आवश्यकताओं के अनुरूप अंतः वासियों के उचित आहार और वस्त्र के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (vii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो आयुक्त, पुनर्वास द्वारा समय-समय पर समन्देशित किये जाएं।

9. रजिस्टरों का संधारण.- पुनर्वास गृहों का प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर और प्ररूप संधारित करेगा, अर्थात्:-

(İ) कर्मचारिवृंद का उपस्थिति रजिस्टर;

- (İİ) अंतः वासियों की भर्ती और निजी सामान का रजिस्टर;
- (İİİ) साधारण क्रम पुस्तिका;
- (İv) पुनर्वास योजना, निराव्यसन योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन में उठाये गये कदम के संबंध में व्यष्टिक अंतः वासी का अभिलेख;

(v) रोकड़ बही ;

(vİ) बैठक पुस्तिका ;

(vİİ) स्टॉक रजिस्टर ;

(vIII) कर्मचारिवृंद का संचलन रजिस्टर; और

(İX) लॉग बुक।

10. आगंतुक पुस्तिका.- पुनर्वास गृह में एक आगंतुक पुस्तिका रखी जायेगी। आगंतुक परिदर्शन के पूर्ण होने पर आगंतुक पुस्तिका में उसके निष्कर्ष, अभ्युक्तियां और सुझाव अभिलिखित कर सकेगा/सकेगी।

11. सेवा संगठन की मान्यता के लिए मानदण्ड और मानक.- (1) सेवा संगठन,-

- (क) सूसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी होगा; या
- (ख) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास होगा; या
- (ग) कोई पूर्त कपंनी होगा; या
- (घ) स्थानीय शासन संस्था या किसी पंचायतीराज संस्था को सम्मिलित करते हुए किसी स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित कोई संगठन होगा।
- (2) मान्यता के लिए कोई सेवा सगंठन,-
 - (क) अधिनियम और इन नियमों में अधिकथित देखभाल के मानकों को पूरा करेगा;
 - (ख) अधिनियम और इन नियमों में अधिकथित देखभाल के मानकों को पूरा करने की क्षमता रखता हो;
 - (ग) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों की भर्ती, देखभाल और संरक्षण के लिए मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्षमता रखता हो;
 - (घ) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा से निवारित करेगा;
 - (ड.) सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करेगा;
 - (च) तीन वर्ष की कालावधि के लिए अस्तित्व में रहेगा; और
 - (छ) समुचित रूप से गठित प्रबन्ध निकाय होगा जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे और एक लिखित संविधान में अधिकथित होंगे।

(3) राज्य सरकार ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् संगठन को इस शर्त पर मान्यता प्रदान कर सकेगी कि वह भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का समुचित ग्रहण, भरण-पोषण, उपचार, प्रशिक्षण, शिक्षा, मादक द्रव्य व्यसनी का निराव्यसन और पुनर्वास उपलब्ध करवायेगा और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और अन्देशों का पालना करेगा।

(4) आयुक्त, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, किसी संगठन को उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गयी मान्यता प्रत्याहृत कर सकेगा।

12. पुनर्वास गृह का अनुशासन और प्रबन्धन.- पुनर्वास गृह में भर्ती कोई भी व्यक्ति,-

- (İ) उसके लिए व्यवस्थित या आदेशित किसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने से या उसे आबंटित कोई कार्य करने से इंकार नहीं करेगा;
- (İİ) संस्था के किसी भाग में किसी अशिष्ट कार्य का कोई न्यूसेन्स नहीं करेगा या समुचित स्वच्छता के लिए जारी किन्ही आदेशों की पालना से इंकार नहीं करेगा;
- (iii) उसकी निजी, वस्त्र, बिस्तर, बर्तन या अन्य किसी वस्तु की सफाई को विनियमित करने वाले किसी आदेश की अवज्ञा नहीं करेगा/करेगी;
- (İv) प्रतिबंधित वस्तु, मादक पदार्थ, शराब इत्यादि या अधीक्षक द्वारा यथा विहित कोई अन्य प्रतिबंधित वस्त् प्राप्त नहीं करेगा या नहीं रखेगा या ग्रहण नहीं करेगा; और
- (v) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य निष्पादन के प्रति विरोध या बाधित नहीं करेगा या किसी अधिकारी के किसी विधिपूर्ण आदेश की पालना से इंकार नहीं करेगा या उसका लोप नहीं करेगा या किसी अधिकारी के कार्य या कर्तव्यों का निर्वहन करने से इंकार नहीं करेगा या

निर्वहन का लोप नहीं करेगा या कार्य या कर्तव्यों का उस प्रयोजन के लिए उपदर्शित रीति में निर्वहन करने से इंकार या लोप नहीं करेगा।

13. प्रतिबंधित वस्तुएं.- कोई भी व्यक्ति पुनर्वास गृह में निम्नलिखित प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं लायेगा, अर्थात्:-

- (İ) प्रत्येक प्रकार का अल्कोहल और स्पिरिट;
- (II) भांग, गांजा और अफीम या अन्य स्वापक या मनः प्रभावी पदार्थ;

(İİİ) सुपारी/गृटखा/तम्बाकू इत्यादि;

(İv) प्रत्येक प्रकार का मादक पदार्थ;

(v) अग्नि उत्पादन के लिए माचिस और सामग्रियां;

- (vİ) उपहति कारित करने में सक्षम कोई भी उपकरण; और
- (vii) अधीक्षक द्वारा इस निमित्त किसी विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्त्।

14. भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि.- (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 27 के अधीन राज्य स्तर पर राजस्थान भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि के नाम से एक निधि, जिसे इसमें इसके नीचे निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का सृजन करेगी।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा,-

- (क) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के कार्यक्रमों, जिसमें उनके स्थायी पुनर्वास के लिए औजार, मशीनरी इत्यादि का क्रय सम्मिलित है, को कार्यान्वित करने के लिए;
- (ख) सेवा संगठनों को सदायता अन्दान के संदाय के लिए;
- (ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के व्ययों की पूर्ति के लिए; और
- (घ) समस्त अन्य कार्य करने के लिए जो उसके उपरोक्त प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक और आवश्यक हैं।
- (3) निधि का प्रबन्धन और प्रशासन राज्य सलाहकार बोर्ड के नियन्त्रणाधीन होगा।

(4) निधि की अस्तियों में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी कानूनी या अकानूनी निकाय से प्राप्त समस्त आवर्ती या अनावर्ती अनुदान और अंशदान, साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक दान, सम्मिलित होंगे।

(5) सभी आहरण, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित चैक या, यथास्थिति, अध्यपेक्षा द्वारा किये जायेंगे और पच्चीस हजार रुपये से अधिक के मामले में चैक, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्रबंध बोर्ड के सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(6) निधि के प्रशासन के सबंध में किसी प्रकार के विनिश्चय या स्पष्टीकरण के संबंध में आयुक्त अन्तिम प्राधिकारी होगा।

15. निधि के लेखे और संपरीक्षा की रीति.- (1) राजस्थान भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि के समस्त धन और सम्पत्तियों तथा आय और व्ययों का एक नियमित लेखा रखा जायेगा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी अधिसूचित फर्म या बोर्ड द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा।

(2) संपरीक्षक, निधि में से आयुक्त द्वारा किये गये व्ययों को भी प्रमाणित करेगा।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का उपयोग भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हो रहा है, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निधि के उचित उपयोग की रिपोर्ट करने के लिए आन्तरिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

16. दान को प्राप्त करने की रीति.- (1) लोक या अन्य किसी गैर-सरकारी संगठन/निगमित सामाजिक रूप से उत्तरदायी सगंठन (सी.एस.आर.) इत्यादि के सदस्यों द्वारा निधि को नकद/चैक/वस्तु (विशेषतः माल, वस्त्र इत्यादि) के रूप में किये गये दान या अंशदान को स्वीकार करने के लिए आयुक्त प्राधिकृत होगा।

(2) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों की देखभाल के लिए राज्य सरकार के साथ किसी करार के अनुसरण में प्राप्त रकम निधि में जमा की जायेगी।

(3) वस्तु रूप में दान वहां तक अनुज्ञेय होगा जहां तक वह वैध, उचित, न्यायसगंत हो और राज्य सरकार की लोक नीति के विरुद्ध न हो।

17. एक पुनर्वास गृह से दूसरे में स्थानान्तरण.- (1) आयुक्त, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह निदेश दे सकेगा कि किसी पुनर्वास गृह में भर्ती किसी व्यक्ति को दूसरे पुनर्वास गृह में स्थानान्तरित किया जाये, अर्थात्:-

(İ) प्रत्येक ऐसा निदेश आवास की उपलब्धता को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए जारी किया जायेगा;

(İİ) ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जायेगा, सिवाय,-

- (क) चिकित्सा अधिकारी की किसी रिपोर्ट पर जो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सीय या स्वास्थ्य आधारों पर स्थानान्तरण की सिफारिश करती है, या
- (ख) अधीक्षक की कोई रिपोर्ट जो संस्था के अंतः वासी के हित में या अन्य कारणों के लिए जो वह उचित समझे, स्थानान्तरण की सिफारिश करे।

(2) पुनर्वास अधिकारी, किसी व्यक्ति का किसी पुनर्वास गृह में स्थानांतरण का निदेश, ऐसे गृह के संबंध में आयुक्त द्वारा किये गये किसी करार के निबंधन के उल्लंघन में नही देगा।

18. पुनर्वास गृहों के अंतः वासियों को अल्प अनुपस्थिति की मंजूरी .- पुनर्वास गृह खुले गृह हैं और अंतवासियों को ठहरने के लिए बाध्य करने की अनिवार्यता नहीं है। अतः अधीक्षक, कारण बताये जाने पर, किसी अंतः वासी को किसी घरेलू कार्य से उसके माता-पिता या रिश्तेदारों से मिलने के प्रयोजनार्थ किसी कालावधि के लिए अनुपस्थिति की अनुज्ञा दे सकेगा। तथापि, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण निराव्यसन और किसी कौशल में ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित करे कि भिखारी स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

19. भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के सर्वेक्षण की रीति.- भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का सर्वेक्षण, आयुक्त, पुनर्वास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में समय-समय पर संचालित किया जायेगा।

20. राज्य सलाहकार बोर्ड की गणपूर्ति.- राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का एक तिहाई होगा। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य उनमें से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे। सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम सात स्पष्ट दिवस का नोटिस दिया जायेगा। तथापि, अति आवश्यक बैठकें अध्यक्ष की अनुजा से अल्प अवधि के नोटिस पर की जा सकेंगी।

21. वास की कालावधि.- (1) आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी पुनर्वास गृह में दो वर्ष से अधिक रहने के लिए अन्ज्ञात नहीं किया जायेगा। (2) जहां यह पाया जाता है कि किसी पुरुष अंतः वासी को पुनर्वास गृह में दो वर्ष से अधिक वास के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, वहां अधीक्षक उस मामले को आवश्यक ब्यौरों और सिफारिशों सहित आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा। आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) किसी महिला अंतः वासी को तीन वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि या जब तक किसी विशिष्ट व्यापार या वृत्ति का प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाए तब तक के लिए, पुनर्वास गृह में वास के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी महिला अंतः वासी को पुनर्वास गृह में तीन वर्ष से अधिक वास के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए तो अधीक्षक मामले को आवश्यक ब्यौरों और सिफारिशों सहित आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा।
(4) यदि पुनर्वास गृह के किसी अंतः वासी को कोई नौकरी या नियोजन मिल गया है तो उसे आयुक्त की अनुज्ञा से पुनर्वास गृह में दो माह से अनधिक की किसी कालावधि के लिए वास जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

1. जिला कलक्टर अध्यक्ष 2. पुलिस अधीक्षक सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सदस्य 4. नगर नगम/नगर परिषद/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी सदस्य 5. जिला नियोजन अधिकारी सदस्य सदस्य 6. मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, उनमें से एक महिला होगी। स्व						
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सदस्य 4. नगर नगम/नगर परिषद/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी सदस्य अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी सदस्य 5. जिला नियोजन अधिकारी सदस्य 6. मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा सदस्य	1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष			
4. नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी सदस्य अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी .	2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य			
अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी	3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य			
5. जिला नियोजन अधिकारी सदस्य 6. मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा सदस्य	4.	नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी	सदस्य			
6. मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा सदस्य		अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी				
	5.					
नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति. उनमें से एक महिला होगी।	6.	मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा				
		नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, उनमें से एक महिला होगी।				
7. संबंधित जिले का पुनर्वास अधिकारी/जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक कल्याण सदस्य-	7.	संबंधित जिले का पुनर्वास अधिकारी/जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक कल्याण				
अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी पदेन सदस्य-सचिव होगा जो जिला कलक्टर सचिव		अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी पदेन सदस्य-सचिव होगा जो जिला कलक्टर	सचिव			
द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।		द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।				

22. जिला स्तरीय समिति का गठन.- (1) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्-

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि और ऐसी अतिरिक्त कालावधि, यदि कोई हो, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाए, के लिए पद धारित करेंगे।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को आयुक्त द्वारा किसी भी समय कोई कारण दिये बिना पर्यवसित किया जा सकेगा।

(4) कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसकी पदावधि समाप्त होने पर पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र होगा।

(5) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई रिक्ति किसी अन्य नामनिर्दिष्ट के नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी, जो तब तक पद धारित करेगा/करेगी जब तक कि यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो, वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है धारित करता/करती।

(6) नामनिर्दिष्ट सदस्य बैठक में उपस्थित होने के लिए की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते तथा पुनर्वास गृह के दौरे के लिए प्रतिकरात्मक भत्ते के संदाय का ऐसी दर पर जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर नियत की जायें, हकदार होगा।

23. पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये व्यक्तियों की स्वच्छता और चिकित्सीय परीक्षा.- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, -

- (क) (İ) किसी प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षा और ऐसी चिकित्सीय ड्रेसिंग, जो चिकित्सा अधिकारी की राय में आवश्यक हो, करायेगा;
 - (ii) शरीर के किसी भी भाग पर के बालों की ऐसी ट्रिमिंग या शेविंग करायेगा जो चिकित्सा अधिकारी की राय में चिकित्सा उपचार देने या स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए आवश्यक हो;
 - (iii) ऐसी सामग्री से, जो प्रदान की जाये, शरीर की सम्पूर्ण सफाई और धुलाई करवायेगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वस्त्रों को पूर्णतः हटाये जाने के लिए तैयार रहेगा।

(ख) ऐसे वस्त्र पहनेगा जो अधीक्षक द्वारा प्रदत्त किये जायें।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चिकित्सा अधिकारी अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी व्यक्ति का सावधानीपूर्वक और पूर्णतया परीक्षण करेगा और वह,-

- (İ) उसके परीक्षण के परिणाम को, यदि वह व्यक्ति स्वस्थ है तो, प्ररूप-11 में और यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो, प्ररूप- 111 में अभिलिखित करेगा;
- (İİ) संबधित व्यक्ति की हिस्ट्री शीट में ऐसे अभिलेख की एक प्रति रखेगा; और
- (İİİ) उसके परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट अधीक्षक को देगाः

परन्तु किसी महिला अंतः वासी का परीक्षण केवल किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनर्वास गृह के महिला अनुभाग में ही किया जायेगा।

24. कतिपय मामलों की आयुक्त को रिपोर्ट देना.- अधीक्षक, अंतः वासियों द्वारा नियमों की अनुपालना और साथ ही निराव्यसन तथा प्राप्त प्रशिक्षण इत्यादि की प्रगति की मासिक सूचना आयुक्त को देगा।

अनुसूची-1

(नियम 4(3) देखिए)

वस्त्र, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं

प्रत्येक अंतः वासी को निम्न्नलिखित वस्त्एं प्रदान की जायेंगीः -

विस्तर					
क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला			
		परिमाण			
1	तौलिया	प्रति वर्ष 2			
2	सूती चादर	प्रति वर्ष 2			
3	तकिया (रूई भरे हुए)	2 वर्ष में 2			
4	तकिये का गिलाफ	2 वर्ष में 4			
5	ऊनी कंबल	2 वर्ष में 2			
6	सूती दरी	2 वर्ष में 2			
7	गद्दा	2 वर्ष में 1			

बिस्तर

महिला अंतः वासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला
		परिमाण
1	सलवार सूट या ब्लाउज और पेटिकोट सहित	प्रति वर्ष 4 सेट
	साड़ी	
2	ब्रैजीअर	प्रति वर्ष 4
3	पैंटी	प्रति वर्ष 8
4	सैनिटरी तौलिया	प्रति वर्ष 12 पैक
5	ऊनी शॉल	2 वर्ष में 2
6	ऊनी स्वेटर	2 वर्ष में 1
7	दुपट्टा/ आधी साड़ी	प्रति वर्ष 2

पुरूष अंतः वासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला
		परिमाण
1	कमीज	प्रति वर्ष 4 सेट
2	पैंट	प्रति वर्ष 4 सेट
3	बनियान	प्रति वर्ष 4 सेट
4	अण्डरवियर	प्रति वर्ष 4 सेट
5	ऊनी जर्सी	2 वर्ष्मे 2

विविध वस्तुएं						
क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला				
		परिमाण				
1	चप्पल	प्रति वर्ष 1 जोड़ी				
2	जूते	प्रति वर्ष 1 जोड़ी				

प्रसाधन सामग्री

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	बालों में लगाने का तेल	प्रति माह 200 मिली लीटर
2	नहाने का साबुन	प्रति माह 2 बड़ी बार
3	टूथ पेस्ट और ब्रश	प्रति 1 माह 1 ब्रश, प्रति माह 80 ग्राम पेस्ट
4	कंधा	प्रति वर्ष 2
5	धोने का साबुन	प्रति माह 2 साबुन 125 ग्राम

प्ररूप - । (नियम-3 देखिए) भर्ती का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7			8	
क्र.सं.	अंतः	भर्ती	जाति/	आयु	भर्ती	शारी	रिक समश्	र्थता के	नकद/ अ	न्य मूल्यवान
	वासी का	की	धर्म		का		ब्यौरे		वस्तुओं र्व	ने विशिष्टियां
	नाम और	दिनांक	और		स्रोत					र मूल्य
	पता	और	लिंग							
	पिता/पति	समय								
	के नाम									
	सहित									
						1	2	3	1	2
						ऊंचाई	वजन	पहचान	अंतः	अधीक्षक /
									वासी का	सहायक
									हस्ताक्षर	अधीक्षक के
									या अंगूठे	अनुप्रमाणन
									का	हस्ताक्षर
									निशान	और दिनांक

प्ररूप -11

(नियम 23 देखिए)

चिकित्सीय परीक्षण पर्ची

नाम		आय्		रजिस्ट्रीकरणः	सं			
		•						
पहचान	चिहन				स्वास्थ्य	की	सामान्य	स्थिति
		संस्था पर क	जर्य के लिए उ	जपयुक्त है।				
अभ्युक्ति	नयां यदि कोई हो	İ,						
देनांक								

चिकित्सा अधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

प्ररूप -ा॥

(नियम 23 देखिए)

चिकित्सीय परीक्षण पर्ची

नाम	रजिस्ट्रीक	रण सं	
	्र वजन		

दिनांक.....

चिकित्सा अधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

[सं.एफ.15() एस एस/बैगर्स/एसजेईडी/20.....,] राज्यपाल के नाम और आदेश से, गायत्री राठौड़, शासन सचिव।

Department of Social Justice and Empowerment NOTIFICATION

Jaipur, December 18, 2020

G.S.R.231 .-In exercise of the powers conferred by section 41 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means The Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012);
- (b) "Form" means a Form appended to these rules;
- (c) "State Government" means the Government of Rajasthan; and
- (d) "Schedule" means Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Admission to the Rehabilitation Home.- (1) Admission to the Rehabilitation Home shall be made subject to the availability of accommodation and facilities.

(2) If any person is found begging within the area notified under sub-section (3) of section 1 of the Act and brought or present himself before the Superintendent of Rehabilitation Home and the Superintendent is of view that the person has no source of living except begging or the person is an indigent, and is willing to live in the Rehabilitation Home, he shall forthwith

admit him to the Rehabilitation Home. The Superintendent shall report the admission of an inmate to the Rehabilitation Officer within 24 hours of such admission.

(3) The Superintendent of Rehabilitation Home shall maintain a register of all persons admitted to the Rehabilitation Home as beggars or indigents in Form-I. At the time of admission particulars of jewellry, cash and other belongings shall be entered in the Form-I and taken custody of by the Superintendent.

4. Scale of accommodation, food and clothing.- (1) The Inmate admitted in the Rehabilitation Home, shall be supplied with clothes, beddings, utensils, soap, hair oil etc. as per the scale and climatic conditions.

(2) The norms for building an accommodation for a Rehabilitation Home with 100 Beggars or Indigents shall generally be as under:-

S.N.	Units	Minimum Area
1	2	3
1.	4 dormitories	4000 Sq.ft (for 25 inmates each 1000 Sq.
		ft. approximately)
2.	Sickroom/First aid room	500 Sq. ft.
3.	Kitchen	250 Sq.ft.
4.	Dining Hall	800 Sq.ft.
5.	Store	250Sq.ft.
6.	10 Bathrooms	250 Sq.ft.
7.	10 Toilets/latrines	250 Sq.ft.
8.	Office Room	250 Sq.ft.
		Superintendent's room 200 Sq.ft.
9.	Counseling/guidance and de-	250 Sq.ft.
	addiction	
	Total	6800 Sq.ft.

Provided that adjustments can be made for smaller units/hired accommodation/ temporary units with the permission of the Commissioner Social Justice and Empowerment Department.

(3) The clothing and bedding for each inmate admitted to Rehabilitation home shall be as per the scale and climatic conditions. The minimum standards of requirement for each inmate shall be as per Schedule-I.

(4) The inmates shall be provided three meals in a day including breakfast.

5. Procedure for setting up of Rehabilitation Homes.- (1) Rehabilitation Homes may be established by recognized service organizations or NGOs. They may apply for grants-inaid of the State Government or Government of India, for the maintenance of Rehabilitation Homes, and for expenses incurred on food, clothing, treatment, de-addiction, vocational training and rehabilitation of inmates.

(2) A service organization desirous to establish a Rehabilitation Home, shall send its application to the Department of Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan with the recommendation of the District level Officer of the Department of Social Justice and Empowerment. Each application for recognition should be accompanied by the following documents:-

- (i) A copy of constitution of the organization;
- (ii) Name and full particulars of the Board of Management/Governing Body, etc. of the Organization;
- (iii) Latest available annual report of the Organization;
- (iv) A detailed budget showing the estimated income and expenditure of the year to which the application pertains, including grants received, promised from other bodies like the departments of the Central or State Government, local bodies, etc.;
- (v) An audited statement of the accounts of the Organization/ Institution for the previous year certified by a Chartered Accountant/ Government Auditor; and
- (vi) Brief note indicating the source of income, including foreign contribution, if any and also details of assets during the last three year. This note should also give details of activities undertaken by the organization in various fields, including prohibition and drug abuse prevention with details about area/place covered and the expenditure incurred.

(3) The Department of Social Justice and Empowerment shall register and scrutinize each application received from the recognized service organization/NGO and if found necessary, call for any clarification or suggest modifications therein.

6. Powers and functions of the Commissioner.- In addition to the powers and functions prescribed under the Act the Commissioner shall have the following powers and functions, namely:-

- (i) To monitor Rehabilitation Homes and seek compliance of orders and instructions given to the recognized service organization, from time to time;
- (ii) To recognise and de-recognise service organizations;
- (iii) To make guidelines for the working and control of the service organization and District Level Committees;
- (iv) To inspect Rehabilitation Homes from time to time and formulate monitoring structures for the same;
- (v) To consider any other matter related to the progress of the Rehabilitation Home and welfare of the inmates in general or in particular; and
- (vi) Exercise such other powers or perform such functions assigned by the State Government from time to time relating to rehabilitation of Beggars or Indigents.

7. Powers and functions of the Rehabilitation Officer.- (1) In addition to the powers and functions prescribed under the Act, the Rehabilitation Officer shall have the following powers and functions, namely:-

- (i) To ensure effective implementation of the Act at district level or city levels;
- (ii) To co-ordinate with all Government Departments to build inter-sectoral linkages on beggars or indigents protection and rehabilitation;
- (iii) To supervise and monitor all Rehabilitation Homes in the district;
- (iv) To co-ordinate with NGO's and citizens of the district to ensure effective rehabilitation of beggars & indigents; and

(v) To perform such other duties as assigned by the Commissioner, from time to time.

(2) The Rehabilitation Officer shall submit to the Commissioner a quarterly report on the progress of all activities undertaken in the Rehabilitation Homes of the district.

8. Duties of Superintendent.- In addition to powers and duties assigned by the Government, from time to time, the Superintendent shall,-

- (i) be responsible for the admission, care, custody, protection, treatment, training and general welfare of the inmates of the Rehabilitation Homes;
- (ii) be responsible for good discipline and efficient working of the training and rehabilitation efforts for and of the inmates;
- (iii) be responsible for management and general supervision of all the works of the Rehabilitation Homes including the supervision of the staff, maintenance of accounts and financial transactions, accounts of clothing, food stocks, stores, private property of inmates, etc;
- (iv) take all necessary measures for maintaining the good health of the inmates;
- (v) ensure social and vocational rehabilitation of inmates, through job placement and vocational training, as also educational arrangements for the children of the inmates including de-addiction plan for drug users;
- (vi) be responsible for proper diet and clothing of inmates in accordance with the prescribed scale and in consistence with the sanctioned grant, and specially to the genuine rehabilitation needs of the inmates; and
- (vii) perform such other duties as may be assigned from time to time by the Commissioner, Rehabilitation.

9. Maintenance of Registers.- The Officer-in-charge of Rehabilitation Homes shall maintain following registers and forms in his office, namely:-

- (i) Attendance Register of the staff;
- (ii) Admission and Personal Belonging register of the inmates;
- (iii) General order book;
- (iv) Record of individual inmate relating to the preparation of rehabilitation Plan, de-addiction plan and steps taken in its implementation;
- (v) Cash book;
- (vi) Meeting book;
- (vii) Stock register;
- (viii) Staff movement register; and
 - (ix) Log book.

10. Visitor's Book. - There shall be a visitor's book kept in the Rehabilitation Home. The visitor may record his/her findings, remarks and suggestions in the visitor's book on completion of the visit.

11. Norms and Standards for Recognition of Service Organization.- (1) The Service Organization must be,-

- (a) a Society registered under the relevant law: or
- (b) a Public Trust registered under law for the time being in force or

- (c) a charitable company; or
- (d) an organization managed by a local body including Local Government institution or a Panchayti Raj Institution.
- (2) For recognition a service organization must,-
 - (a) meet the standards of care laid down in the Act and these rules;
 - (b) have the capacity and willingness to meet the standards of care laid down in the Act and these rules;
 - (c) be capable to provide basic services for admission, care and protection of beggars and indigents;
 - (d) prevent subjection of beggars and indigents to any form of cruelty or exploitation or neglect;
 - (e) abide by the orders of the competent authority and the State Government;
 - (f) be existed for a period of three years; and
 - (g) have a properly constituted managing body with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in a written constitution.

(3) The State Government may, after making such inquiry as it considers necessary, grant recognition to the organization with the condition that it shall provide proper reception, maintenance, treatment, training, education, de-addiction of drug addicts, and rehabilitation of beggars or indigents and abide by the rules and instructions issued by the State Government.

(4) The Commissioner may, after providing an opportunity of being heard, withdraw the recognition granted to an organization under sub-rule (3).

12. Discipline and Management of Rehabilitation Home.- A person admitted in Rehabilitation Home shall not,-

- (i) refuse to receive any training arranged or ordered for him/her or to do the work allotted to him;
- (ii) commit a nuisance or any act of indecency in any part of the institution or refuse to obey any orders issued for proper sanitation;
- (iii)disobey any order regulating the cleanliness of his/her personal, clothing bedding, utensils or any other articles;
- (iv)receive or possess or partake of any prohibited articles, drugs, alcohol etc. or any other article as specified by the Superintendent; and
- (v) resist or obstruct an officer in the execution of his duty or refuse or omit to obey any lawful order of an officer or refuse to perform or omit to perform work or duties of an officer or refuse to perform or omit to perform work or duties in the manner indicated for that purpose.

13. Prohibited articles.- No person shall bring into the Rehabilitation Home the following prohibited articles, namely:-

- (i) Alcohol and spirit of every description;
- (ii) Bhang, Ganja and opium or other narcotic or psychotropic substances;

- (iii) Betel nuts/gutka/tobacco etc;
- (iv) Drugs of every description;
- (v) Matches and materials for producing fire;
- (vi) Any implements capable of causing hurt; and
- (vii) Any other articles specified in this behalf by the Superintendent by a special order.

14. Beggars and Indigents Welfare Fund.- (1) The State Government shall create a fund at the state level under section 27 of the Act to be known as the Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund, herein under referred to as the fund, for the welfare and rehabilitation of beggars and indigents under the provisions of the Act.

(2) The fund shall be used,-

- (a) to implement programmes for the welfare and rehabilitation of beggars or indigents, including purchase of tools, machinery, etc for their permanent rehabilitation;
- (b) to pay grant-in-aid to service organizations;
- (c) to meet the expenses of State Advisory Board; and
- (d) to do all other things that are incidental and necessary for the above purposes thereof.

(3) The management and the administration of the fund shall be under the control of the State Advisory Board.

(4) The assets of the fund shall include all such grants and contributions, recurring or nonrecurring from the State Government or any other statutory or non statutory bodies set up by the State Government as well as the voluntary donations from any individual or organization.

(5) All withdrawals shall be made by cheques or requisitions, as the case may be, signed by the Secretary cum Treasurer and in case of amounts exceeding rupees twenty five thousand, the cheques shall be signed duly by the Secretary cum treasurer and the member of the Board of the management to be nominated by the State Advisory Board.

(6) The Commissioner shall be final authority regarding any type of decision or clarification in relation to administration of fund.

15. Manner of accounts and audit of the fund.- (1) A regular account shall be kept of all money and properties, and all incomes and expenditures of the Rajasthan Beggars and Indigents Welfare Fund and shall be audited by a notified firm of chartered accountants, or any other recognized authority to be appointed by the Board.

(2) The auditors shall also certify the expenditures from the fund made by the Commissioner.

(3) In order to ensure that fund is utilized for the aims and object of the rehabilitation of beggars or indigents, the Commissioner or officer authorised by him may appoint internal auditor to report proper use of the fund.

16. The manner of receiving donations.- (1) The Commissioner shall be authorized to accept donations or contributions in cash/cheque / kind (especially goods, cloths etc.) made to the fund by members of the public or any other Non Governmental Organization/ corporate social responsibility (CSR) organization, etc.

(2) The amount received in pursuance of any agreement with the State Government for the care of Beggars or Indigents shall be credited to the Fund.

(3) Donation in kind may be permissible so far as it is legal, proper, just and not opposed to public policy of the State Government.

17. Transfer from one Rehabilitation Home to another.- (1) The Commissioner may direct that any person admitted in a Rehabilitation Home may be transferred to another Rehabilitation Home subject to the following conditions, namely:-

(i) every such direction shall be issued with due regard to the availability of accommodation; (ii) no such direction shall be issued except on,-

- (a) a report from the Medical Officer recommending the transfer of such person on medical or hygienic grounds, or
- (b) a report from the Superintendent recommending transfer in the interest of the inmate of the institution or for other reasons, as he/she may deem fit.

(2) The Rehabilitation Officer shall not direct for the transfer of any person to a Rehabilitation Home in contravention of the terms of any agreement entered into by the Commissioner in respect of such Home.

18. Short leave of absence to inmates of Rehabilitation Homes.- The Rehabilitation Homes are open Homes and there is no compulsion for inmates to be forced to stay. The Superintendent may, therefore on cause being shown, grant permission in writing to an inmate to absent himself/herself for any period for the purpose of visiting his parents or relatives or attending to any domestic work. The attempt should however be to ensure full de-addiction/and training in a skill such that the beggar becomes self sufficient.

19. Manner of survey of beggars and indigents.- The survey of beggars and indigents shall be conducted from time to time in the manner specified by the Commissioner Rehabilitation.

20. Quorum of State Advisory Board.- The Quorum for the meeting of the State Advisory Board shall be one third of the total numbers. The Chairperson shall preside over the meetings. If the Chairperson is absent from any meeting, the members present shall elect one of the members, to preside over the meeting, amongst them. At least seven clear days notice shall be given by the Secretary for the meeting of the Board. However urgent meetings can be held with the permission of the Chairperson at short notice.

21. Period of stay.- (1) No male inmate shall be allowed to stay for more than two years in a Rehabilitation Home without the permission of the Commissioner.

(2) When it is found that a male inmate should be allowed to stay in the Rehabilitation Home beyond two years, the Superintendent shall refer the case to the Commissioner with necessary details and recommendations. The decision of the Commissioner shall be final.

(3) A female inmate may be allowed to stay in the Rehabilitation Home for a period not exceeding three years or till her training in a particular trade or profession is completed. If it is found that a female inmate should be allowed to stay in the Rehabilitation Home beyond three years, the Superintendent shall refer the case to the Commissioner with necessary details and recommendations.

(4) If an inmate of the Rehabilitation Home has secured a job or employment, he/she may be allowed to continue to live in the Rehabilitation Home for a period not longer than two months, with the permission of Commissioner.

22. Composition of District Level Committee.- (1) The District Level Committee shall consist of the following, namely:-

1.	District Collector	Chairperson
2.	Superintendent of Police	Member
3.	Chief Medical & Health Officer/ Principal Medical	Member
	Officer	
4.	Chief Executive Officer/ Commissioner/ Executive	Member
	Officer. of Nagar Nigam/ Nagar Parishad/Nagar	
	Palika	
5.	District Employment Officer	Member
6.	Two Persons to represent recognized service	Member
	organizations to be nominated by the District	
	Collector, one of them shall be a woman	
7.	Rehabilitation Officer of concerned district/District	Member Secretary
	Probation and Social Welfare Officer/District	
	Probation Officer shall be the ex-officio Member	
	Secretary, to be decided by the District Collector	

(2) Nominated members shall hold office for a period of three years from the date of appointment and for such further period, if any, as the Commissioner, may by general or special order direct on that behalf.

(3) A nominated member may be terminated by the Commissioner, at any time without assigning any reason.

(4) A nominated member shall be eligible for re-nomination on the expiry of his/her term of office.

(5) Any vacancy among the nominated members shall be filled by nomination of another nominated who shall hold office so long as the person in whose place he/she is nominated would have held it if the vacancy had not occurred.

(6) Nominated members shall be entitled for payment of traveling allowance and daily allowance for journey undertaken to attend the meeting and compensatory allowance for visiting the Rehabilitation Home at such rates as may from time to time be fixed by the Commissioner.

23. Cleansing and medical examination of persons admitted to the Rehabilitation Home.- (1) Every person admitted to the Rehabilitation Home shall,-

(a) submit to, –

- (i) a preliminary medical examination and such medical dressing as may, in the opinion of the Medical Officer, be necessary;
- such trimming or shaving of the hair on any part of the person as may, in the opinion of the Medical Officer, be necessary for the administration of medical treatment or for securing cleanliness and health;

- (iii) thorough cleansing and washing of the body with such materials as may be provided and the complete removal of clothing in order to secure this object.
- (b) wear such clothes as may be supplied by the Superintendent.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the Medical Officer in pursuance of the provisions of section 35 of the Act shall examine a person carefully and thoroughly and shall,-

- (i) record the result of his examination in Form-II, if the person is in good health and in Form-III, if he/she is not in good health;
- (ii) keep a copy of such record in the history sheet of the person concerned; and
- (iii) report the result of his/her examination to the Superintendent:

Provided that a female inmates shall only be examined by a Lady Medical Officer in the female section of the Rehabilitation Home.

24. Report certain cases to Commissioner. - The Superintendent shall report to the Commissioner monthly compliances of the rules by the inmates as also progress of Deaddiction and training received etc.

Schedule-I (See rule 4 (3))

Clothing, Bedding, Toiletries and other articles

Every Inmates shall be provided with the following articles:-

S.No.	Article	Quantity to be provided per inmate
1	Towels	2 Per year
2	Cotton Bed sheets	2 Per year
3	Pillow (Cotton Stuffed)	2 Per 2 years
4	Pillow Covers	4 Per 2 years
5	Woolen Blankets	2 Per 2 years
6	Cotton durry	2 Per 2 years
7	Mattress	1 Per 2 years

Bedding

Clothing for female inmates

S.No.	Article	Quantity to be provided per inmate
1	Salwar suit or sari with blouse and petticoats	4 sets per year
2	Brassieres	4 per year
3	Panties	8 per year
4	Sanitary towels	12 packs per year
5	Woolen shawls	2 in 2 years
6	Woolen Sweaters	1 in 2 year
7	Dupatta / Half sari	2 per year

clothing for male inmates

S.No.	Article	Quantity to be provided per inmate
1	Shirts	4 Sets per year
2	Pants	4 Sets per year
3	Vest	4 Sets per year
4	Underwear	4 Sets per year
5	woolen jerseys	2 in 2 year

Miscellaneous articles

S.No.	Article	Quantity to be provided per inmate
1	Slipper	1 pair per year
2	Shoes	1 pair per year

Toiletry

S.No.	Article	Quantity to be provided per inmate
1	Hair oil	200 ml per months
2	Toilet soap	2 Large bar per month
3	Tooth paste and brush	1 Brush per 1 months 80 gm paste per months
4	Comb	2 per year
5	washing soap	2 soap per month 125 gm

Form-I (See rule-3) Register of Admission

1	2	3	4	5	6	7		8		
S.No	Name & address of inmate together with name of father/ husband	Date of Admis s-ion and Time	Caste/ religio n and Sex	Ag e	Source of Admis sion	Deta	ills of pl fitness 2 Wei g-ht	•	cash/oth	and Value of er valuable ticles 2 Attesting signature and date of Supdt/Asstt. .Supdt.

Form-II (See rule 23) MEDICAL EXAMINATION SLIP

NAME		age	Registration number	
		•	Identification marks	
health Fit fo	or work at in	nstitution.		
Remarks if	any			

Date.....

Seal and signature of Medical officer

Form-III (Seerule 23) MEDICAL EXAMINATION SLIP

NAME	ageRegis	tration number	
		Identification	marks
	is suffering from	n(disease)	
Date			

Seal and signature of Medical officer

[No. F.15 () SS/Beggars/SJED/20/.....] By order and in the name of the Governor, Gayatri Rathore, Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.